

# भा.कृ.अ.प.- राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार (हरियाणा)

फा.सं.:9-148/विविध/2022

## नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 1824 सूखे पेड़ों की खुली बोली दिनांक 30.10.2023 (सोमवार) को प्रातः 11.00 बजे भा.कृ.अनु.प. -राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, सिरसा रोड, हिसार में की जायेगी। सूखे पेड़ों की खुली बोली को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/पार्टी निर्धारित समय व स्थान पर पहुंच कर रुपये 36000/- बतौर धरोहर राशि जमा कर बोली में भाग ले सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/पार्टी नीलाम किये जाने वाले सूखे पेड़ों को इस केंद्र के फार्म में दिनांक 20.10.2023 से 29.10.2023 की अवधि में किसी भी कार्य दिवस को सुबह 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक देख सकते हैं। केन्द्र के निदेशक को पूरा अधिकार है कि वह बिना कारण बताये सूखे पेड़ों की खुली बोली की नीलामी को निरस्त कर सकते हैं। नीलाम किए जाने वाले सूखे पेड़ों की सूची और शर्तें संस्थान की वेबसाइट [www.nrce.gov.in](http://www.nrce.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

# भा.कृ.अ.प.- राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार (हरियाणा)

## सूखे पेड़ों की नीलामी के नियम व शर्तें:-

1. सूखे पेड़ों की खुली बोली को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/पार्टी दिनांक 30.10.2023 (सोमवार) को प्रातः 10.00 बजे इस केंद्र में पहुँच कर रुपये 36000/- बतौर धरोहर राशि जमा कर बोली में भाग ले सकते हैं।
2. खुली बोली जैसे है जंहा है के आधार पर होगी व एक ही लाट में होगी, रिकॉर्ड के अनुसार खड़े व सूखे व गिरे हुए पेड़ों की संख्या 1824 है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Name of Species	No. of trees-Class wise							Total No.	Volume
	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB		
Shisham	51	6	-	-	-	-	-	57	3.90
Kikar	01	-	-	-	-	-	-	01	0.06
Safeda	165	225	120	18	-	-	-	528	255.78
Misc.	739	402	72	17	05	02	01	1238	179.97
Total	956	627	192	35	5	2	1	1824	439.71

3. अधिकतम बोलीदाता को नीलामी की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करवानी होगी। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त शेष राशि 10 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। यदि इस समय सीमा के अन्दर धन राशि जमा नहीं कर सके तो 25 प्रतिशत जमा राशि तथा नीलामी के लिए जमा करवाई गई धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी और इन पेड़ों की नीलामी दोबारा की जायेगी तथा बोलीदाता भविष्य में एक साल तक नीलामी के लिए बोली देने का हकदार नहीं होगा। लगाई गई अधिकतम बोली राशि पर जी.एस.टी. निर्धारित दर से अलग से जमा करवाना होगा। उपरोक्त पूरी राशि या तो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाना होगा या फिर सीधे इस केन्द्र के बैंक खाता में जमा करवाया जा सकता है। जब तक पूरी राशि जमा नहीं होगी पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं होगी। बकाया राशि जमा करवाने के पश्चात ही माल उठाने दिया जाएगा। दिनांक 30.10.2023 की नीलामी का माल 45 दिन के अन्दर अन्दर सफल बोलीदाता को अपने जोखिम और कीमत पर काटकर, लादकर स्वयं के ट्रक/ट्रेक्टर ट्राली आदि से ले जाना होगा तथा गेट पास से ही बाहर जाने दिया जायेगा। समय सीमा के बाद माल नहीं ले जाने दिया जायेगा।
4. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि संस्थान में जमानत राशि के रूप में जमा रहेगी तथा कुल नीलामी/बोली राशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।
5. सफल/अधिकतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाता की धरोहर राशि को तुरन्त लौटा दिया जायेगा।
6. बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड व जी.एस.टी. पंजीकृत की प्रति जमा करवानी होगी।

7. बोली जिस व्यक्ति/पार्टी के नाम छोड़ी जायेगी, उसी को माल ले जाने दिया जायेगा तथा उसी व्यक्ति/पार्टी के नाम गेट पास जारी होगा, माल ले जाने वाले गेट पास पर हस्ताक्षर भी सफल बोलीदाता के होंगे।
8. सफल बोलीदाता को किसी अन्य संबंधित विभागों से यदि कोई अनुमति चाहिए तो उसे अपने खर्च इत्यादि से आवश्यक इजाजत/लाईसैंस अपने खर्च पर स्वयं लेना होगा इसके लिए संस्थान की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. सफल बोलीदाता केवल चिन्हित वृक्षों को ही काटेगा, चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्षों को नुकसान करता पाया गया तो यह अनुमति रद्द कर दी जायेगी और आगे वृक्षों को नहीं काटने दिया जायेगा।
10. कटाई के दौरान साथ वाले वृक्ष, बिजली की तारे, भवन/ सरकारी सम्पति इत्यादि को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की देनदारी व्यक्ति/पार्टी की होगी। नुकसान का मूल्यांकन संस्थान की समिति द्वारा किया जायेगा।
11. माल को कार्य दिवस के दौरान सुबह 9.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक ही बाहर ले जाने की अनुमति होगी।
12. नीलामी किये गये सभी पेड़ों को कम से कम 3 फीट गहराई से जड़ों सहित निकालना होगा।
13. पेड़ों की कटाई में लगाये गये श्रमिकों का पूर्ण विवरण नाम, पता तथा कुल संख्या आदि सफल बोलीदाता को लिखित रूप में देनी होगी। कटाई के दौरान श्रमिकों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर इसका जिम्मेदार सफल बोलीदाता का होगा। इस बारे में हर प्रकार के क्लेम, बीमा व ई0एस0आई0 इत्यादि भी सफल बोलीदाता को भरने होंगे।
14. इच्छुक व्यक्ति/पार्टी नीलाम किये जाने वाले सूखे पेड़ों को इस केंद्र के फार्म में दिनांक 20.10.2023 से 29.10.2023 की अवधि में किसी भी कार्य दिवस को सुबह 11.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक देख सकते हैं और इस संदर्भ में प्रभारी, कृषि फार्म अनुभाग से भी सम्पर्क किया जा सकता है जिनका मोबाईल नं. 9813197177 है।
15. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा, हिसार जिला न्यायालय में ही होगा।
16. जिस बोलीदाता को उपरोक्त शर्तें मंजूर नहीं होगी उसकी नीलामी स्वीकार्य नहीं होगी।
17. नीलामी में केवल वही बोलीदाता भाग ले सकेंगे जो कि जी.एस.टी. विभाग से पंजीकृत होंगे।
18. निदेशक महोदय की स्वीकृति के बाद ही नीलामी पूर्ण मानी जायेगी तथा अंतिम निर्णय निदेशक, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार का ही सर्वमान्य होगा।

